-- आयात अनुमति का देर से मिलना;

-- परियोजना के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना;

-- निविदाएं जारी करने तथा आर्डर देने में विलंब का होना;

-- परियोजना संगठन और परामर्शदाता के उत्तरदायित्व के कार्य क्षेत्र का अस्पष्ट होना;

-- औद्योगिक संबंध तथा कानून और व्यवस्था की समस्याएं;

-- निवेशों की अपर्याप्त आपूर्ति;

-- निर्मित उपस्करों की सप्लाई का अनियमित और विलम्ब से होना;

-- उपस्करों के ठीक से कार्य न करने के कारण प्रारंभिक कठिनाइयों का होना;

-- प्रतिपादित प्रौद्योगिकी का चयन न करना;

-- "इस्तेमाल के अधिकार" की प्राप्ति में विलम्ब होना;

-- परियोजना स्थलों की भू-विज्ञान की स्थिति का जटिल होना;

20-सूत्री कार्यक्रम का जारी रखा जाना

433. **श्री अजीत जोगी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व सरकार द्वारा शुरु किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन वर्तमान सरकार द्वारा जारी रखा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम में नीति विषयक अथवा अन्य प्रकार के परिवर्तन किए जाने की सम्भावना है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके स्थान पर कौन से कार्यक्रम लागू किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भाग्ये गोवर्धन):

(क) से (ग) 20-सूत्री कार्यक्रम को जारी रखने अथवा उसमें परिवर्तन करने के बारे में निर्णय आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय लिया जाएगा।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति

434. **श्री अजीत जोगी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1989 के वर्ष के अंत तक देश में ऐसे कितने प्रतिशत परिवार थे जो गरीबी-रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे; और

(ख) इस प्रतिशत में कमी लाने के लिए गरीबी उन्मूलनार्थ भविष्य में कौन सी अतिरिक्त योजनाएं लागू किये जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भाग्ये गोवर्धन): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43 वें चक्र (जुलाई, 1987 से जुन, 1988) के अन्तिम परिणामों के आधार पर देश में वर्ष 1987-88 के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत अनुपात 29.23 है। वर्ष 1989 की समाप्ति पर देश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के प्रतिशत अनुपात का अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) पहले से ही कार्यान्वयनाधीन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और रोजगार सृजन स्कीमों के अलावा सरकार अन्तिम कदम के तौर पर, चालू वर्ष में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों तथा ग्रामीण बेरोजगारी की ताल्लालिक समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार गारंटी स्कीम शुरु करने का प्रस्ताव है जैसीकि बजट में घोषणा की गई है।